न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर

11/2024 — तारीख रजू 31.12.2024 — तारीख निर्णय 9/7/2025

समयसिंह गोदपुत्र मिश्रया मूल पिता ग्यारसा, गुर्जर निवासी बिदरख्यॉं तह0 गंगापुर सिटी

—अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत बिदरख्यॉं तह0 गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
3. गिर्रा पुत्र मूल्या, गुर्जर निवासी बिदरख्यॉं तह0 गंगापुर सिटी
4. केदार पुत्र ग्यारसा, गुर्जर निवासी बिदरख्यॉं तह0 गंगापुर सिटी
5. किशन पुत्र ग्यारसा, गुर्जर निवासी बिदरख्यॉं तह0 गंगापुर सिटी
6. रतन पुत्र ग्यारसा, गुर्जर निवासी बिदरख्यॉं तह0 गंगापुर सिटी
7. मगन पुत्र ग्यारसा, गुर्जर निवासी बिदरख्यॉं तह0 गंगापुर सिटी
8. बाबूलाल पुत्र गब्दू, गुर्जर निवासी बिदरख्यॉं तह0 गंगापुर सिटी
9. बने सिंह पुत्र गब्दू, गुर्जर निवासी बिदरख्यॉं तह0 गंगापुर सिटी
10. मुकेश पुत्र गब्दू, गुर्जर निवासी बिदरख्यॉं तह0 गंगापुर सिटी
11. केदारी पुत्री गब्दू, गुर्जर निवासी बिदरख्यॉं तह0 गंगापुर सिटी
12. केशा पुत्री गब्दू, गुर्जर निवासी बिदरख्यॉं तह0 गंगापुर सिटी
13. भरतलाल गोदपुत्र अर्जुन मूल पुत्र ग्यारसा, गुर्जर निवासी बिदरख्यॉं
14. रूकमणी पुत्री मूला, गुर्जर निवासी बिदरख्यॉं तह0 गंगापुर सिटी
15. संतरा पुत्री मूला, गुर्जर निवासी बिदरख्यॉं तह0 गंगापुर सिटी
16. सुरज्या पुत्री मूला, गुर्जर निवासी बिदरख्यॉं तह0 गंगापुर सिटी

—रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1701 दि0 19.12.2024 ग्राम बिदरख्या ग्राम पंचायत बिदरख्या तह0 गंगापुर सिटी

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवो[illegible]पीलार्थी की ओर से
श्री तरूण शर्मा, [illegible] 7, 13 की ओर से
श्री बृजनंदन दीक्षित, एड. रेस्पो. [illegible] 8 ता 12 की ओर से
श्री राधागोपाल शर्मा, एड. रेस्पो. संख्या 3, 14, 16 की ओर से
श्री सूर्यप्रकाश शर्मा, एड. रेस्पो. संख्या 1 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.23 17:45:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि मृतक मिश्रया की भूमि के सम्बन्ध मे अपीलार्थी का दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थाई

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

समयसिंह बनाम ग्राम पंचायत बिदरख्यॉ व अन्य, अपील नामान्तरकरण

(2)

षेधाज्ञा प्रस्तुत न्यायालय उपजिला कलेक्टर महोदय गंगापुर सिटी के समक्ष ल रहा हैं। जो समय सिंह बनाम बाबूलाल दावा संख्या 189/2002 है। इस ावे से सम्बन्धित टीआई प्रार्थना पत्र संख्या 125/2002 उनवानी समयसिंह नाम बाबूलाल में न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा गैरसायल संख्या 5 तहसीलदार गंगापुर सिटी को वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की स्थिति यथावत रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। जिसका तहसीलदार गंगापुर सिटी ने राजस्व रिकार्ड में नोट नहीं लगाया है। गत दस दिन तक अपीलार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी, पटवारी हल्का एवं सरपंच को स्टे के बाबत् दस्तावेज सहित बताता रहा परन्तु स्टे के बाद भी विरासत का नामान्तकरण दौराने दावा खोल दिया गया है। जो कानून के विरूद्ध है एवं निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी समयसिंह गोद पुत्र है एवं वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्तकार है। अपीलार्थी का गोद का दावा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में चल रहा है एवं घोषणा का दावा न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी में चल रहा है तथा टीआई प्रार्थना पत्र में स्टे चल रहा है एवं स्टे के दौरान ही अपीलाधीन नामान्तकरण खोल दिया गया है। जिससे अपीलार्थी के भूमि मे हक व अधिकार प्रभावित हो रहे है। ऐसी स्थिति मे विधि विरूद्ध तरीके से खोला गया नामान्तकरण निरस्त किया जाना आवश्यक है। नामान्तकरण मे अपीलार्थी को ग्यारसा का पुत्र गलत लिखा है। अपीलार्थी मिश्रया का गोदपुत्र है। अपीलार्थी के आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, बैंक पासबुक आदि सभी दस्तावेज मे गोदपुत्र मिश्रया दर्ज है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पचायत बिदरख्या द्वारा खोला गया नामान्तकरण संख्या 1701 बाबत ख0न0 170, 171, 188, 441 जो ख0न0 92, 95, 96, 98, 363, 364, 369, 370, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 373/1507, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342 ग्राम बिदरख्या से सम्बन्धित है को निरस्त फरमाया जावे एवं भूमि की नामान्तकरण से पूर्व की स्थिति बहाल करने के [illegible] फरमाये जावें।

अपील के साथ अपीलार्थी ने नकल नामान्तकरण संख्या 1701 दिनांक 19.12.24 तस्दीक दिनांक 25.12.2024, फोटोकॉपी निर्णय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी मुकदमा उनवानी समयसिंह बनाम बाबूलाल वगैरा, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय दिनांक 05.10.2[illegible]9 मय टी.आई. प्रार्थना पत्र, नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 188, 441, 171, 170 विदरख्या, फोटोकोपी आधार कार्ड समय सिंह, फोटोकॉपी बैंक पासबुक, फोटोकॉपी पैन कार्ड प्रस्तुत किये है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने ऑर्डर 41

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.23 17:45:18 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

रूल 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ उसके द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच जयपुर मे प्रस्तुत एस.बी. सिविल प्रथम अपील नम्बर 02/2025 उनवानी समयसिंह बनाम बाबूलाल वगैरा की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज की जाकर प्रत्यार्थीगण को तलब किया गया।

रेस्पो. संख्या 16 सुरज्या पुत्री मूला ने अपील का जबाब प्रस्तुत किया है। जिसमे अंकित किया है कि मिश्रया का गोदपुत्र समयसिंह है जो मिश्रया की सम्पूर्ण कृषि भूमि पर काबिज है। सरपंच नामान्तकरण संख्या 1701 दिनांक 19.12.2024 गलत रूप से खोला है। रेस्पो. संख्या 3 गिर्रा एवं रेस्पो. संख्या 8 बाबूलाल ने कुछ दिन पूर्व प्रार्थिया से कुल खाली कागजो पर अंगूठा निशानी करा ली है जो गलत है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1701 निरस्त फरमावें।

रेस्पो. संख्या 4 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमे अंकित किया है चेत्र सुदी पूर्णिमा दिनांक 05.04.1985 को ग्यारसा पुत्र गोविन्द उर्फ नोन्दा निवासी बिदरख्या ने अपनी धर्मपत्नी धोडीदेवी की अनुमति से अपीलार्थी समयसिंह को जाति व समाज के रीति रिवाज के अनुसार मिश्रीलाल उर्फ मिश्रया को गोद ले लिया था व मिश्रीलाल उर्फ मिश्रया ने समयसिंह को अपनी गोद मे बैठाकर गोद लेना स्वीकार कर लिया। गांव के पंच पटेल, परिवारजन, रिश्तेदार उस समारोह मे उपस्थित हुए थे जिसमे नारियल बतासे भी बांटे गये थे तथा गोद की लिखापढी तीन रूपये के स्टाम्प पर की गई थी। तब से ही समयसिंह मिश्रीलाल उर्फ मिश्रया के पास बतौर दत्तकपुत्र रहता चला आ रहा है व समयसिंह ने ही मिश्रीलाल उर्फ मिश्रया के अंतिम संस्कार, बारह ब्राह्मण किये व पगडी भी समयसिंह के बंधी। भूमि ख0न0 92, 95, 96, 98, 363, 364, 369, 370, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 373/1507, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342 ग्राम बिदरख्या पर मिश्रीलाल उर्फ मिश्री के हिस्से को समयसिंह ही काबिज होकर काश्त कर रहा है। ग्राम पंचायत बिदरख्या द्वारा बिना मौका देखे, कब्जे की [illegible] किये बिना, पक्षकारों को सूचित किये बिना स्टे के दौरान [illegible] 1701 खोला है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.23 17:45:13 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्तानुसार ही शपथ पत्र भरतलाल रेस्पो. संख्या 13 ने, किशन रेस्पो. संख्या 5 ने, रतन रेस्पो. संख्या 6, मगन रेस्पो. संख्या 7 प्रस्तुत किये है।

रेस्पो0 संख्या 1 ने ग्राम पंचायत विदरख्या के लैटर हेड पर दिनांक 29.1.2025 को लिखा हुआ एक पत्र प्रस्तुत किया है जिसमे स्वयं रेस्पो. संख्या 1

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

रपंच ने अंकित किया है कि ग्राम पंचायत की मिटिंग मे प्रस्ताव संख्या 1 पर नामान्तकरण संख्या 1701 को पंचायत कोरम द्वारा खारिज करने का निर्णय हुआ है लेकिन ऑनलाईन प्रक्रिया की नासमझी एवं तकनीकी ज्ञान के अभाव में अस्वीकार के स्थान पर स्वीकार का ऑपशन चयन हो गया है। उस समय एस.एस.ओ. आई.डी. पर दो नामान्तकरण दिखायी दे रहे थे संयोगवश दोनो मे ही मृतको का नाम मिश्रया था ऐसी स्थिति मे मानवीय भूल के कारण राजस्व रिकार्ड मे गलती हो गई। इसके साथ रेस्पो. ने पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 25.12.2024 व नकल नामान्तकरण संख्या 1702 दिनांक 24.12.2024 भी प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अपीलार्थी मृतक मिश्रया का गोदपुत्र है एवं मृतक मिश्रया की भूमि की घोषणा खातेदारी का दावा अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है। इस दावे मे प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मे माननीय न्यायालय द्वारा 5.10.09 को तहसीलदार गंगापुर सिटी को वादग्रस्त भूमि की ताफैसला दावा रिकार्ड की यथास्थिति बनाने रखने हेतु पाबंद किया हुआ है। इसका नोट जमाबंदी मे नही लगाया गया। इस कारण अपीलाधीन नामान्तकरण पंचायत द्वारा तस्दीक द्वारा कर दिया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण स्टे के बाबजूद भी तस्दीक किया गया है जो नियम विरूद्ध है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। गोद पुत्र की घोषणा सम्बधी दीवानी वाद न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 गंगापुर सिटी के यहाँ से दिनांक 09.12.2024 को खारिज कर दिया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच जयपुर मे अपील प्रस्तुत की हुई है जो विचाराधीन है। अतः स्टे मे तस्दीक किये जाने वाले अपीलाधीन नामान्तकरण को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पो0 संख्या 8 ता 12 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे कहा कि अपीलार्थी समयसिंह ने स्वयं को [illegible] मिश्रया का गोदपुत्र बताते हुए उसकी खातेदारी की भूमि की अपी[illegible] पक्ष मे घोषणा के लिए दावा माननीय न्यायालय मे प्रस्तु[illegible] न्यायालय ने इस न्यायालय मे तनकिया कायम की। [illegible] की घोषणा का अधिकार सिविल न्यायालय को होने के कारण वादी/अपी[illegible]र्थी समय सिंह के गोदपुत्र होने अथवा नही होने सम्बधी तनकी को तय करने हेतु मामला दिनांक 09.05.2012 को सिविल न्यायालय मे भिजवा दिया गया। माननीय सिविल न्यायालय

जिला कलेक्टर
[illegible]पुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.23 17:45.13 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला न्यायाधीश संख्या 02 गंगापुर सिटी ने अपने निर्णय दिनांक 09.12.2024 मे अपीलार्थी रामयसिंह को मृतक मिश्रया का गोदपुत्र नही मानते हुए दावा खारिज कर दिया है। चूंकि प्रकरण मे मुख्य बिन्दू अपीलार्थी के दत्तक पुत्र होने अथवा नही होने का ही है और जब सक्षम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को गोदपुत्र नही माना गया है व दावा खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति मे श्रीमानजी के न्यायालय मे अपीलार्थी का विचाराधीन वाद का कोई औचित्य नही रहता है तथा वाद इनफैक्चुअस हो गया है। जब वाद ही औचित्यहीन है तो माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश का भी कोई अर्थ नही रहता है। ऐसी स्थिति मे ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1701 नियमानुसार सही खोला गया है। इसमे हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण मे मुख्य बिन्दू इस तथ्य को लेकर है कि अपीलाधीन नामान्तकरण इस न्यायालय के स्थगन आदेश के चलते खोला गया है अथवा नही। पत्रावली पर उपलब्ध इस न्यायालय के निर्णय 09.05.2012 के अवलोकन से विदित है कि वादग्रस्त भूमि का ताफैसला दावा रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश तहसीलदार गंगापुर सिटी को दिये गये थे। यह स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है। ऐसी स्थिति मे विचाराधीन नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा जो खोला गया है वह कानूनन सही नही है। फलस्वरूप अपील स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एवं नामान्तरकरण संख्या 1701 दिनांक 19.12.2024 ग्राम बिदरख्या निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनकर नामान्तरकरण संख्या 1701 दिनांक 19.12.2024 ग्राम बिदरख्या पर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारन सुनवाई हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी के न्यायालय में दिनांक 15.07.2025 को उपस्थित होवे। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम ... बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3/7/2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.23 17:45:13 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट ... गंगापुर सिटी